

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में “वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी” के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर सार्वजनिक सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं. एबी. 14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज एवं श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में “वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी” के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपत्तिधारक यदि वें चाहें तो, टिप्पणियाँ अथवा सुझाव, देने के लिए टिप्प/भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी (एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ई मेल- कर सकते हैं

नई दिल्ली
दिनांक :

ठानेश कुमार

(गणेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार
(गणेश कुमार)

दूरभास 011-2306

अवर सचिव / Under Secretary
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare
भारत सरकार / Govt. of India
नई दिल्ली / New Delhi

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख

2021

सा.का.नि. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 को, जहां तक उनका संबंध हिन्दी शिक्षक के पद से है, सिवाए उन बातों के अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर -** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता: वह व्यक्ति-**
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;**उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:**

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत में शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	बेतन मैट्रिक्स में स्तर	चरण या अन्वयन पद	मीथे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी	*01 (एक) (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण कैन्ट्रीय सेवा, समूह 'ब' अराजपत्रित, अनुसन्चितीय	बेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)	चयन	30 वर्ष की आयु से अधिक नहीं। (कैन्ट्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अध्यर्थियों में आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होमी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोराम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्थिति जिला तथा चम्बा जिला का पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के अध्यर्थियों के लिए विहित की गई है।
मीथे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहंताएं	मीथे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में जागृ होनी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती मीथे व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में जागृ होनी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	
आवश्यक:	(7)	(8)	(9)	(10)	
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम के रूप में होने के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री;	नहीं।	मीथे भर्ती किए जाने सकने पर प्रतिनियुक्ति वाले अध्यर्थियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।		
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम के रूप में होने और हिन्दी या अंग्रेजी में मास्टर डिग्री;	या				
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी स्तर पर अंग्रेजी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा का माध्यम के रूप में होने के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री;	या				

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी एक अनिवार्य या वैकल्पिक विषय या परीक्षा के माध्यम के रूप में हो और हिन्दी या अंग्रेजी से भिन्न किसी अन्य विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर हिंदी;

या
और

हिंदी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद का मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के कार्यालय में, जिनके अंतर्गत भारत सरकार के उपक्रम भी शामिल है, हिन्दी से अंग्रेजी और विलोमतः अनुवाद कार्य का तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: अर्हताएं, अन्यथा सुअहित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में तब शिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी चरण पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय हो कि आवधित रिक्तियों द्वारा उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

<p>प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्ति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।</p> <p>(11)</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्ति समिति है, तो उसकी संरचना।</p> <p>(12)</p>	<p>भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p> <p>(13)</p>
<p>बेतन मैट्रिक्स के स्ट-र-६ (35400-112500/- रुपये) में ऐसे कनिष्ठ अनुवाद अधिकारियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में ५ वर्ष की नियमित सेवा की हो और केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण मंत्रालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से संबंधित क्षेत्र में २-४ सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण या समतुल्य या प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा निर्धारित किया गया प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।</p> <p>टिप्पण 1: जहां अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठ व्यक्तियों की प्रोन्ति पर विचार किया जा रहा हो वहां उनके वरिष्ठ व्यक्तियों पर भी</p>	<p>समूह 'ब' विभागीय प्रोन्ति समिति (प्रोन्ति पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से भिन्न कर बनेंगी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. आपर चिकित्सा अधीक्षक, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष 2. सहायक निदेशक (राजभाषा), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य 3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक प्रशासन -सदस्य 	

विचार किया जाएगा वशर्ते कि उनकी अहंक या पात्रता सेवा, आवश्यक अहंक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो तथा जिन्होंने ऐसी अहंक या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रतिनियुक्ति

केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के देसे अधिकारी:

(क) (i) जिन्होंने मूल काड़विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद

धारण किया हुआ है; या

(ii) जिन्होंने ग्रेड वेतन 4200/- रुपए के साथ वेतन बैंड 2, 9300-

34800/- रुपए में पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो; और

(ब) जो संभाल 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहंताएं और अन्य अहंताएं रखते हों।

टिप्पण-1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पांक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण-2: प्रतिनियुक्त द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य
- सहायक निदेशक (राजभाषा), लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग के प्रभारी उप निदेशक प्रशासन -सदस्य
- उपनिदेशक प्रशासन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली - सदस्य

[ए.12034/101/2020-एमई(एमएच-1)]

(गणेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार